मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी–अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 4734/1368/2015/दो/सी–2 भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2015

प्रति,

1. **समस्त जिलादण्डाधिकारी, म0प्र0**
2. **समस्त पुलिस अधीक्षक, म0प्र0**

विषयः– विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत्।

–00–

1. विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 4 (घ) में पारिभाषित विस्फोटक पदार्थ (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर राजपत्र में अधिसूचित विस्फोटक पदार्थों को शामिल करते हुए) के लिये अनुज्ञप्ति जारी करते समय विस्फोटक नियम, 2008 में उल्लेखित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. सभी जिलों में तत्काल सघन अभियान चलाया जाकर 30 सितम्बर, 2015 तक विस्फोटक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नियमों के अंतर्गत संधारित अभिलेखों के अनुसार क्रय विक्रय एवं भण्डारण का भौतिक सत्यापन कराया जाय। प्रत्येक जिले में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी का संयुक्त दल बनाया जाकर जांच करायी जाय। यदि जिले में अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या अधिक हो तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के उप निरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी का संयुक्त दल गठित कर जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करायें। भौतिक सत्यापन उपरांत अनियमितता तथा शर्तों का उल्लघंन पाये जाने पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा–9 (ख) एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा–4 एवं 5 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. सभी जिला दण्डाधिकारी संलग्न प्रारूप में 5 अक्टूबर, 2015 तक एकजाई निरीक्षण रिपोर्ट विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें तथा प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

4. विस्फोटक नियम 2008 के नियम 24 के प्रावधान अनुसार विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, प्रयोग या वहन के लिये अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के भाग पांच में उल्लेखित प्रारूप आर ई–2 से लगायत प्रारूप आर ई–12 तक में अभिलेखों का संधारण करेगा और त्रैमासिक विवरणी नियंत्रक तथा जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा। त्रैमासिक विवरणी में उल्लेखित विवरण का भौतिक सत्यापन उपरांत प्रमाणीकरण जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

(i) विस्फोटक नियम 2008 के नियम 128 में जिला मजिस्ट्रेट, सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं उप निरीक्षक से अग्रिम पंक्ति के पुलिस अधिकारी को अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में तलाशी एवं अभिग्रहण की शक्तियां प्राप्त है। अतः नियमित तौर पर तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाही की जाय।

5. विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78 में प्रावधान अनुसार किसी मैगजीन, भण्डार गृह या दुकान को केवल भूस्थल पर ही निर्मित किया जायेगा। कोई मैगजीन या भण्डार गृह एकल मंजिल का भवन ही होगा। उक्त प्रावधान का कड़ाई से पालन कराया जाय।

6. विस्फोटकों के कब्जे, विक्रय, भण्डारण या उपयोग के लिये अनुज्ञप्त परिसर विस्फोटक नियम 2008 के नियम 86 में प्रावधान अनुसार सुरक्षित दूरी पर रखे जाने का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय।

7. समस्त जिला दण्डाधिकारी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में जारी विस्फोटक सामग्री से संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों की सूची रखेंगे।

8. समस्त थाना प्रभारी विस्फोटक पदार्थों को उपयोग हेतु ले जाने से संबंधित वाहनों को प्रदाय की गयी परिवहन से संबंधित अनुज्ञप्ति की सूची रखेंगे और समय–समय पर उनका निरीक्षण करेंगे।

9. विस्फोटक नियम 2008 के तहत त्यौहारों के दौरान पटाखा के कब्जे एवं विक्रय के लिये अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करते समय नियम 84 की कंडिका 1 लगायत 6 तक के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय जिससे किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सकें।

10. विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विस्फोटक नियम 2008 गृह विभाग की वेबसाईट www.home.mp.gov.in के अधिनियम तथा नियम पर उपलब्ध है।

उक्त समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय। अनियमितता या शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(बसंत प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग

पृ0क्र0 4735/1368/2015/दो/सी–2 भोपाल, दिनांक 13, सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग/कृषि एवं किसान कल्याण/खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. पुलिस महानिदेशक, म0प्र0 भोपाल।
3. समस्त आयुक्त/रेंज पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
4. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, म0प्र0 भोपाल।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग

प्रारूप

जिला –

अनुज्ञप्ति की श्रेणी	कुल अनुज्ञप्ति धारियों की संख्या	जांच में पायी गयी अनियमितता (संख्या)	की गयी कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
(1) प्रारूप आर ई–2 विनिर्मित विस्फोटकों (आतिशबाजी से भिन्न) का लेखा				
(2) प्रारूप आर ई–3 विस्फोटकों (आतिशबाजी से भिन्न) की प्राप्ति का लेखा				
(3) प्रारूप आर ई–4 विस्फोटकों (आतिशबाजी से भिन्न) के विक्रय का लेखा				
(4) प्रारूप आर ई–5 अनुज्ञप्ति धारी द्वारा प्रयुक्त विस्फोटकों (आतिशबाजी से भिन्न) का लेखा				
(5) प्रारूप आर ई–6 सड़क वैन द्वारा परिवहित विस्फोटकों का लेखा				
(6) प्रारूप आर ई–7 विस्फोटकों की विवरण				
(7) प्रारूप आर ई–8 आयातकर्ता द्वारा स्थान या लदान पत्तन से विस्फोटक के प्रेषण पर मुख्य नियंत्रक को निवेदित की जाने वाली घोषणा				
(8) प्रारूप आर ई–9 आयातकर्ता के प्रेषण की अनुसूची				
(9) प्रारूप आर ई–10 आयातकर्ता के प्रेषण की अनुसूची				
(10) प्रारूप आर ई–11 विस्फोटकों के लिये इनडैंट का प्रारूप				
(11) प्रारूप आर ई–12 विस्फोटकों के परेषण के वाहन के लिये परेषिती द्वारा जारी किया गया पास				